न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच, जनपद जालौन

मु० सं०–511/2012

सरकार बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि।

मु०अ०सं०–441/12
धारा–147, 148, 149, 324,504,506,भा०दं०सं०
थाना–नदीगांव, जिला जालौन।

आरोप

मैं तुषार जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोंच, आप **अभियुक्तगण सुरेन्द्रसिंह, कमलसिंह, महेन्द्र सिंह व भगवान सिंह** को एतद्वावारा निम्न आरोपो से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 06.07.2012, समय 17:15 बजे स्थान बहद ग्राम लाडूपुरा, थाना कैलिया जिला जालौन में आप लोगों ने एक विधि विरूद्ध जमाव कर उसके सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में बलवा किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा०दं०सं० की **धारा–147/149** के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने घातक अस्त्रों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव कर बलवा किया। इस प्रकार आप लोगों ने भा०दं०सं० की **धारा–148** के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उक्त दिनांक को उक्त समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों ने भा०दं०सं० की **धारा–324** के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने वादी मुकदमा को अपमानित करने के उद्देश्य से गालियां दी, जिससे कि वह उत्तेजित होकर लोकशांति भंग करने पर आमादा हो जाए। इस प्रकार आपने भा०दं०सं० की **धारा–504** के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कार्य किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 506** के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एद्व द्वारा में आप लोगों को निर्देश देता हूं कि उक्त आरोपों में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 16.08.2022

(तुषार जायसवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोंच, जनपद जालौन।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार किया और परीक्षण चाहा।

दिनांक 16.08.2022

(तुषार जासवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोंच, जनपद जालौन।